संख्या-355/2023/1016रासनि/23-1-23/001-03(ए)/आरएसएन-एएलआई/23टीसी-1

प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 लखनऊ::दिनांक 07 मई, 2023

विषय- वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान सं0-58 लेखाशीर्षक-3054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से अलीगढ़ मण्डल के विभिन्न जनपदों के 39 चालू कार्यों हेतु अवशेष धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-3862/CE-HQ1/RSN3054/ALI/2023-24, दिनांक 26.04.2023 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न विवरणानुसार अलीगढ़ मण्डल के विभिन्न जनपदों के 39 चालू कार्यों हेतु अवशेष धनराशि के सापेक्ष कुल रू0 24,95,56,000/- (रूपये चौबीस करोड़ पंचानबे लाख छप्पन हजार मात्र) की धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान सं0-58 के लेखाशीर्षक-3054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से स्वीकृत/निर्गत किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्रम सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत / मूल लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	बचत	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	नि.ख.-1 अलीगढ़	पनैठी गंगीरी मार्ग के किमी 2 से अलहदादपुर होते हुए साधु आश्रम मार्ग तक मरम्मत का कार्य।	39/2021/1936 रासनि/23-1-21-10 रासनि/21 टी0सी0 2-दिनांक-07-01-2022	50.33	43.29	3.04	4.00	3.20
2	नि.ख.-1 अलीगढ़	सासनी-अकराबाद मार्ग से नाले का नगला मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य	39/2021/1936 रासनि/23-1-21-10 रासनि/21 टी0सी0 2-दिनांक-07-01-2022	40.00	32.28	2.72	5.00	4.00
3	नि.ख.-1 अलीगढ़	बरला मोड़ से परौरा मार्ग पर विशेष मरम्मत का कार्य	39/2021/1936 रासनि/23-1-21-10 रासनि/21 टी0सी0 2-दिनांक-07-01-2022	52.86	45.61	2.25	5.00	4.00
4	नि.ख.-1 अलीगढ़	इगलास-गोण्डा मार्ग।	307 /2022/625 रासनि/23-1-2022/003-41 आरएसएन/2022 टीसी-दिनांक-06-10-2022	221.44	110.72	7.00	103.72	82.98
5	प्रा.ख. अलीगढ़	हरदुआगंज-कासिमपुर मार्ग	307 /2022/625 रासनि/23-1-2022/003-41 आरएसएन/2022 टीसी-दिनांक-06-10-2022	289.81	144.91	17.33	127.57	102.06
6	प्रा.ख. अलीगढ़	शाहपुर से धर्मपुर रकराना मार्ग की मरम्मत का कार्य।	01 /2023/1205 रासनि/23-1-2022/001-53 आरएसएन/2022 दि 02.01.2023-दिनांक-02-01-2023	41.96	10.49	4.10	27.37	21.90

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्रम सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत / मूल लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	बचत	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	प्रा.ख. अलीगढ़	जट्टारी पिसावा मार्ग से जलालपुर मार्ग की मरम्मत का कार्य।	01 /2023/1205 रासनि/23-1-2022/001-53 आरएसएन/2022 दि 02.01.2023-दिनांक-02-01-2023	61.2	15.3	13.87	32.03	25.62
8	प्रा.ख. अलीगढ़	जखैरा मार्ग से उस्मानपुर मार्ग के मरम्मत का कार्य।	01 /2023/1205 रासनि/23-1-2022/001-53 आरएसएन/2022 दि 02.01.2023-दिनांक-02-01-2023	62.29	15.57	13.81	32.91	26.33
9	प्रा.ख. अलीगढ़	नरौना बरला मार्ग से नगला जुझरका वाया चण्डौला सुजानपुर मार्ग के मरम्मत का कार्य।	01 /2023/1205 रासनि/23-1-2022/001-53 आरएसएन/2022 दि 02.01.2023-दिनांक-02-01-2023	75.58	18.9	14.45	42.23	33.78
10	प्रा.ख. अलीगढ़	अतरौली गनियावली गाजीपुर मार्ग का मरम्मत कार्य।	01 /2023/1205 रासनि/23-1-2022/001-53 आरएसएन/2022 दि 02.01.2023-दिनांक-02-01-2023	95.43	23.85	17.26	54.32	43.46
11	प्रा.ख. अलीगढ़	अलीगढ़ बरौली मार्ग से आलमपुर सुबकरा मार्ग की मरम्मत का कार्य।	01 /2023/1205 रासनि/23-1-2022/001-53 आरएसएन/2022 दि 02.01.2023-दिनांक-02-01-2023	80.08	20.02	17.83	42.23	33.78
12	प्रा.ख. अलीगढ़	बाजगढ़ी पुल से अकनगला होते हुए तालेपुर मार्ग की मरम्मत का कार्य।	01 /2023/1205 रासनि/23-1-2022/001-53 आरएसएन/2022 दि 02.01.2023-दिनांक-02-01-2023	64.74	16.18	12.05	36.51	29.21
13	प्रा.ख. अलीगढ़	अलीगढ़-रामघाट मार्ग (रामघाट कल्याण मार्ग)	52 /2023/1356 रासनि (1)/23-1-22/001-57 आरएसएन/2022 टीसी-2 दि 07.01.2023-दिनांक-07-01-2023	174.66	43.66	6.93	124.07	99.26
14	प्रा.ख. अलीगढ़	देहली-कानपुर-राष्ट्रीय मार्ग संख्या-91 चैनेज 110.875 से 117.650 (गभाना आबादी भाग)	52 /2023/1356 रासनि (1)/23-1-22/001-57 आरएसएन/2022 टीसी-2 दि 07.01.2023-दिनांक-07-01-2023	182	45.5	10.73	125.77	100.62
15	प्रा.ख. अलीगढ़	अकबरपुर टैंटीगॉ ः खैर मार्ग	52 /2023/1356 रासनि (1)/23-1-22/001-57 आरएसएन/2022 टीसी-2 दि 07.01.2023-दिनांक-07-01-2023	371.5	92.87	45.02	233.61	148.60
16	प्रा.ख. अलीगढ़	खैर सोमना मार्ग	52 /2023/1356 रासनि (1)/23-1-22/001-57 आरएसएन/2022 टीसी-2 दि 07.01.2023-दिनांक-07-01-2023	361.14	90.28	30.63	240.23	144.46
17	प्रा.ख. हाथरस	हाथरस दाऊजी कोटा माग	307 /2022/625 रासनि/23-1-2022/003-41 आरएसएन/2022 टीसी-दिनांक-06-10-2022	135.15	1.00	2.15	132.00	105.60
18	प्रा.ख.	हाथरस जंक्शन से बेरगांव माग	307 /2022/625 रासनि/23-1-	62.86	1.26	0.50	61.10	48.88

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्रम सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत / मूल लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	बचत	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	हाथरस		2022/003-41 आरएसएन/2022 टीसी-दिनांक-06-10-2022					
19	प्रा.ख. हाथरस	राया-सादाबाद से बीजलपुर मार्ग ।	01 /2023/1205 रासनि/23-1-2022/001-53 आरएसएन/2022 दि 02.01.2023-दिनांक-02-01-2023	44.1	0.55	1.05	42.50	34.00
20	प्रा.ख. हाथरस	अरौठा से पिपरामई मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य।	01 /2023/1205 रासनि/23-1-2022/001-53 आरएसएन/2022 दि 02.01.2023-दिनांक-02-01-2023	48.75	0.61	0.64	47.50	38.00
21	प्रा.ख. हाथरस	सादाबाद मुतेहरा मार्ग से नगला ब्राह्मणान (नगला बंजारा) मार्ग पर विशेष मरम्मत का कार्य।	01 /2023/1205 रासनि/23-1-2022/001-53 आरएसएन/2022 दि 02.01.2023-दिनांक-02-01-2023	71.53	0.89	7.14	63.50	50.80
22	प्रा.ख. हाथरस	पी0बी0 मार्ग से मनौरा मार्ग पर विशेष मरम्मत का कार्य।	01 /2023/1205 रासनि/23-1-2022/001-53 आरएसएन/2022 दि 02.01.2023-दिनांक-02-01-2023	53.73	13.43	2.00	38.30	30.64
23	प्रा.ख. हाथरस	नगला सिंगी से एहवरनपुर होते हुये नयाबांस मार्ग पर विशेष मरम्मत का कार्य।	01 /2023/1205 रासनि/23-1-2022/001-53 आरएसएन/2022 दि 02.01.2023-दिनांक-02-01-2023	57.11	0.74	1.37	55.00	44.00
24	प्रा.ख. हाथरस	टिकरी से सलेमपुर होते हुये शेखूपुर मार्ग पर विशेष मरम्मत का कार्य।	01 /2023/1205 रासनि/23-1-2022/001-53 आरएसएन/2022 दि 02.01.2023-दिनांक-02-01-2023	62.75	1.00	0.05	61.70	49.36
25	प्रा.ख. हाथरस	सादाबाद जैतई गुतेहरा शिखरा मार्ग	52 /2023/1356 रासनि (1)/23-1-22/001-57 आरएसएन/2022 टीसी-2 दि 07.01.2023-दिनांक-07-01-2023	126.9	0.63	1.27	125.00	100.00
26	प्रा.ख. हाथरस	हाथरस जंक्शन पवलोई पहाड़पुर मार्ग	52 /2023/1356 रासनि (1)/23-1-22/001-57 आरएसएन/2022 टीसी-2 दि 07.01.2023-दिनांक-07-01-2023	100.42	0.50	0.92	99.00	79.20
27	प्रा.ख. हाथरस	सासनी जसराना मडराक मार्ग	52 /2023/1356 रासनि (1)/23-1-22/001-57 आरएसएन/2022 टीसी-2 दि 07.01.2023-दिनांक-07-01-2023	127.63	1.00	0.03	126.6	91.08
28	प्रा.ख. हाथरस	नगला भुस से नगला उम्मेद मार्ग (एन0एच0-93 का शहरी भाग)	52 /2023/1356 रासनि (1)/23-1-22/001-57 आरएसएन/2022 टीसी-2 दि 07.01.2023-दिनांक-07-01-2023	499.97	1.00	3.97	495.00	199.98
29	प्रा.ख. हाथरस	मुरसान पटैनी पल्हावत मार्ग	52 /2023/1356 रासनि (1)/23-1-22/001-57 आरएसएन/2022	127.15	0.64	2.51	124.00	99.20

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्रम सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत / मूल लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	बचत	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			टीसी-2 दि 07.01.2023-दिनांक-07-01-2023					
30	प्रा.ख. हाथरस	इसौली जलेसर सिकन्द्राराऊ मार्ग	52 /2023/1356 रासनि (1)/23-1-22/001-57 आरएसएन/2022 टीसी-2 दि 07.01.2023-दिनांक-07-01-2023	391.16	1.00	2.50	387.66	156.46
31	प्रा.ख. हाथरस	जी0टी0 रोड कि0मी0 183 (टोली) से कचौरा बरई मार्ग	52 /2023/1356 रासनि (1)/23-1-22/001-57 आरएसएन/2022 टीसी-2 दि 07.01.2023-दिनांक-07-01-2023	81.27	1.02	0.25	80.00	64.00
32	प्रा.ख. हाथरस	पी0बी0 मार्ग कि0मी0 189 से हसायन मार्ग	52 /2023/1356 रासनि (1)/23-1-22/001-57 आरएसएन/2022 टीसी-2 दि 07.01.2023-दिनांक-07-01-2023	146.11	0.73	2.38	143.00	114.40
33	प्रा.ख. हाथरस	सिहोरी हसायन महासिंहपुर मार्ग	52 /2023/1356 रासनि (1)/23-1-22/001-57 आरएसएन/2022 टीसी-2 दि 07.01.2023-दिनांक-07-01-2023	66.86	0.84	1.02	65.00	52.00
34	प्रा.ख. हाथरस	पी0बी0 मार्ग किमी 186 से आलमपुर लिहा वाजिदपुर मार्ग	52 /2023/1356 रासनि (1)/23-1-22/001-57 आरएसएन/2022 टीसी-2 दि 07.01.2023-दिनांक-07-01-2023	131.92	0.66	0.08	131.18	94.48
35	प्रा.ख. कासगंज	एल0जी0सी0 पटरी से रजपुरा मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य	39/2021/1936 रासनि/23-1-21-10 रासनि/21 टी0सी0 2-दिनांक-07-01-2022	55.93	44.95	8.35	2.63	2.10
36	प्रा.ख. कासगंज	एटा अमांपुर सहावर मार्ग से नरई मार्ग में सी0सी0 के साथ विशेष मरम्मत का कार्य।	01 /2023/1205 रासनि/23-1-2022/001-53 आरएसएन/2022 दि 02.01.2023-दिनांक-02-01-2023	83.7	20.93	8.03	54.74	43.79
37	प्रा.ख. कासगंज	अमांपुर सिढ़पुरा मार्ग से अर्जुनपुर नौआबाद मार्ग पर विशेष मरम्मत का कार्य।	01 /2023/1205 रासनि/23-1-2022/001-53 आरएसएन/2022 दि 02.01.2023-दिनांक-02-01-2023	50.82	12.71	4.32	33.79	27.03
38	प्रा.ख. कासगंज	कासगंज अमांपुर मार्ग से सैलई मार्ग पर विशेष मरम्मत का कार्य।	01 /2023/1205 रासनि/23-1-2022/001-53 आरएसएन/2022 दि 02.01.2023-दिनांक-02-01-2023	43.81	10.95	0.24	32.62	26.09
39	प्रा.ख. कासगंज	कासगंज अमापुर मार्ग से खुशकरी लोदीपुर समसपुर डेगरी होते हुए एटा अमापुर सहावर मार्ग में सी0सी0 के साथ विशेष मरम्मत का कार्य	01 /2023/1205 रासनि/23-1-2022/001-53 आरएसएन/2022 दि 02.01.2023-दिनांक-02-01-2023	68.92	17.23	0.18	51.51	41.21
							कुल योग-	2495.56

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(1) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2024 तक कर लिया जाय। कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को दिनांक 30 अप्रैल, 2024 तक उपलब्ध करा दिया जाय। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन कार्यों के लिए किसी अन्य आदेश से स्वीकृति/आवंटन तो प्राप्त नहीं है और यदि दोहरी स्वीकृति पायी जाय तो उस स्वीकृति को निरस्त कराते हुए संबंधित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्काल समर्पित की जाय ।

(2) लेबर सेस की एक प्रतिशत धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय, वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तो के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि तथा राज्य सड़क निधि नियमावली में किये गये प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाय तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में न किया जाय ।

(4) राज्य सड़क निधि हेतु गठित राज्य सड़क प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं/प्रयोजनों के लिये ही स्वीकृत/आवंटित धनराशि का उपयोग किया जायेगा । यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन प्रयोजनों हेतु राज्य सड़क निधि से धनराशि स्वीकृत हुई है वह उसी प्रयोजन हेतु व्यय की गयी है ।

(5) समस्त कार्य निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित कराये जाये ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित मानकों/विशिष्टियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो, उक्त परिवर्तन/विचलन शासन की पूर्वानुमति से ही किया जाय ।

(6) इस निधि से स्वीकृत कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का सक्षम स्त्र पर सम्यक निरीक्षण/सत्यापन कर प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय ।

(7) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय से पूर्व उपर्युक्त परियोजनाओं के संबंध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेशों एवं यथा पुनरीक्षित शासनादेशों की शर्तों तथा उक्त के संबंध में वित्त विभाग के समस्त सुसंगत शासनादेशों की शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17.03.2023 एवं अन्य सुसंगत शासनादेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) प्रश्नगत कार्यों की स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि कोई कार्य नगरीय सीमा के अन्तर्गत सम्मिलित है, तो प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि नगरीय निकाय चुनाव के दृष्टिगत आदर्श चुनाव आचार संहिता प्रभावी रहने तक उक्त कार्यों हेतु धनराशि निर्गत न की जाय।

(10) प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जिन क्षेत्रों में वर्तमान में आदर्श आचार संहिता लागू है, उन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्षेत्रों को छोड़कर नवीनीकरण के कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर कराये जाने होंगे। आदर्श आचार संहिता समाप्ति के बाद सम्पूर्ण क्षेत्रों में नवीनीकरण के कार्य प्राथमिकता पर कराये जायेंगे।

2- इस संबंध में होने वाला रू0 24,95,56,000/- (रूपये चौबीस करोड़ पंचानबे लाख छप्पन हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-58 लेखाशीर्षक "3054043370500 राज्य सड़क निधि से सड़कों का अनुरक्षण मानक मद 29 अनुरक्षण के नामे डाला जायेगा ।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17.03.2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

राजेश प्रताप सिंह
उप सचिव।

संख्या-355/2023/1016रासनि/23-1-23/001-03(ए)/आरएसएन-एएलआई/23टीसी-1, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-निजी सचिव, मा0मंत्री जी/मा0राज्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।
2-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम एवं द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3-जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
4-मुख्य अभियंता (मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
5-मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।
6-संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0।
7-वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
8-वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
9-वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
10-लोक निर्माण अनुभाग-10/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0शासन।
11-.नोडल अधिकारी (आनलाइन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
12-गार्ड फाइल

आज्ञा से,

राजेश प्रताप सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।